अनुलग्नक 18: जाली नोटों का पता लगाना और उनका प्रबंधन

बैंक को जाली नोटों की पहचान करने और उन्हें ज़ब्त करने का निर्देश प्राप्त है। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र में जारी निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. जाली नोटों की पहचान करना

a. काउंटर पर दिए गए अथवा थोक देनदारों से बैक ऑफिस या करेन्सी चेस्ट में प्रत्यक्ष तौर पर प्राप्त किए गए बैंक नोटों की प्रामाणिकता की मशीनों द्वारा जांच की जानी चाहिए।

b. काउंटर पर अथवा बैक-ऑफिस या करेन्सी चेस्ट में पाए गए जाली नोटों के मामले में ग्राहक के खाते में कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा।

c. जाली नोट देनदार को लौटाया नहीं जाना चाहिए अथवा न ही बैंक की शाखाओं या कोषालयों द्वारा नष्ट किया जाना चाहिए।

2. जाली नोटों को अवरुद्ध किया जाना:

जिन नोटों की पहचान जाली नोटों के रूप में की जाती है उन पर ''जाली नोट'' की मुहर अंकित की जानी चाहिए और उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में अवरुद्ध कर दिया जाना चाहिए। प्रत्येक ज़ब्त किए गए नोट को प्राधिकार के अंतर्गत इस खास उद्देश्य के लिए संधारित रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाएगा।

3. देनदार को रसीद जारी किया जाना:

a. जब बैंक की शाखा के काउंटर पर या बैक ऑफिस और करेन्सी चेस्ट या कोषागार में दिया गया बैंक नोट जाली पाया जाएगा तो देने वाले व्यक्ति को एक प्राप्ति रसीद अवश्य दी जानी चाहिए।

b. रसीद ऐसे मामलों में भी दी जाएगी जब देने वाला व्यक्ति रसीद पर प्रतिहस्ताक्षर करने से अनिच्छुक हो।